

## महत्वपूर्ण एवं खास

### डॉयल 112 की कार्यवाही

रायगढ़। 1 नवम्बर की सुबह 4.05 बजे चक्रधरनगर राइनो-2 को इवेंट मिला कि श्याम मंदिर हटरी के पास अकित अग्रवाल के घर गोदाम के सामने में आग लगी है, इवेंट (सूचना) पर ईआरवी चक्रधरनगर राइनो-2 अविलम्ब मौके पर पहुंची, आग को फायर बिग्रेड की सहायता से बुझाया गया। 1 नवम्बर की शाम 16.14 बजे छाल राइनो को इवेंट प्राप्त हुआ कि नवापारा के पास मोटर सायकल का चालक राजेश्वर वैष्णव पिता मोहनदास वैष्णव उम्र 37 वर्ष निवासी बांधापाली व उसकी लड़की ओमनी वैष्णव उम्र 08 वर्ष मोटर सायकल से गिरने पर चोटें आयी हैं, इवेंट पर ईआरवी छाल राइनो घटनास्थल पहुंच कर आहतों को ईआरवी बाहन में बिटाकर सीएचसी छाल में ईलाज के लिये भर्ती कराया गया है।

### बालिका लापता

रायगढ़। 31 अक्टूबर को थाना सरिया में 17 वर्षीय बालिका के लापता हो जाने की रिपोर्ट उसके पिता द्वारा दर्ज कराया गया है, रिपोर्टकर्ता ने बताया कि इसकी लड़की 30 अक्टूबर के सुबह करीब 09.30 बजे स्कूल जाने के लिये निकली है, जो घर नहीं आयी। बालिका की खोजबिन किया गया, पता नहीं चला है, बालिका के पिता के रिपोर्ट पर अप.क्र. 239/18 धारा 363 ता.हि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

### सटोरियों पर गिरी पुलिस की गाज

रायगढ़। 31 अक्टूबर को थाना खरसिया में पदस्थ सहायक उपरिक्षक जी.पी. बंजारे व हमराह स्टाफ द्वारा मुख्यिकर सूचना पर ग्राम दिमानी में भावपारा तालाब किनारे सट्टा कार्यवाही किया गया, मौके पर गिरजा शंकर पटेल को सट्टा-पट्टी लिखकर सट्टा खेलते मिला जिसके कब्जे से 1. एक सट्टा-पट्टी 2. सट्टा की नारी रकम 1050/- रुपये। 3. एक पेन जस किया गया है। आरोपी गिरजाशंकर पटेल पिता तिरथ राम पटेल उम्र 45 वर्ष के विरुद्ध थाना खरसिया में अप.क्र. 749/18 धारा 4 (क) सट्टा एक्ट की कार्यवाही किया गया है।

### नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 दिसम्बर को

रायगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा 8 दिसम्बर को सभी मामलों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

### मतदाता जागरूकता हेतु सलाद व व्यंजन सज्जा प्रतियोगिता 3 नवंबर को

रायगढ़। मतदाता जागरूकता हेतु वोट अवश्य करेंगे थीम पर सलाद व व्यंजन सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन 3 नवंबर को पूर्वान्ह 11 बजे जनपद पंचायत रायगढ़ में किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति को सामग्री स्वयं लाना होगा। जिसमें प्रथम विजेता को 1000, द्वितीय को-500, तृतीय को-300 रुपए एवं सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा।

## सारंगढ़ बसपा में बवाल, आए बगावत के स्वर

**पूर्व जिलाध्यक्ष व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सहित सैकड़ों बसपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने दिया बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा**

(न्याय साक्षी ब्यूरो रिपोर्ट - नरेश चौहान सारंगढ़)

कोसीरा। 1 नवंबर को सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों व निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने ग्राम कोसिर में बसपा पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक आजाद व जिला बसपा रायगढ़ के पूर्व जिलाध्यक्ष दूर्क्षर सोनी व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शंकर जांगड़े पूर्व विधानसभा प्रभारी कृष्णचंद्र भारद्वाज संतोष बौद्ध युवा अध्यक्ष सारंगढ़ श्रीमती मीना भारद्वाज पूर्व उपाध्यक्ष सुरेश बंजरे उप सरपंच भाऊ गांव लाभपाराम लहरे होरीलाल रावे सेक्टर प्रभारी कहै रावे सेक्टर प्रभारी फिरतू जांगड़े सेक्टर प्रभारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व वरिष्ठ पदाधिकारी रहे बसपा के

समर्पित कार्यकर्ताओं ने वर्तमान बसपा प्रत्याशी अपना इस्तीफा दे दिया है।

अरविन्द खटकर के कार्य व्यवहार व प्रत्याशी कुछ कार्यकर्ताओं ने बसपा के साथीय नीति व

करने कांशीराम के मिशन एवं अंदेलन को निराधार कर कथनी एवं करनी में अंतर का आरोप भी लगाया है। साथ ही कामदा जोहे जो कि, पूर्व विधायक सारंगढ़ रही हैं, को पार्टी से निकाले जाने से भी कार्यकर्ता बहुत दुखी व नाराज बताए गए हैं, उन्हें न्याय नहीं मिला व उनकी फ़रियाद को नजरअंदाज किया गया, जिससे भी नाराजी बढ़ी बताया गया है। आसन विधानसभा चुनाव में बसपा के लिए बड़े पैमाने पर सारंगढ़ सहित पूर्व प्रदेश में नुकसान होने की सम्भावना व्यक्त की गई है।

वर्तमान में पूर्व बसपा विधानसभा प्रभारी व सतनामी समाज के अध्यक्ष शंकर जांगड़े द्वारा भी इस्तीफा दिए जाने की खबरे आ रही हैं।

### त्यौहारी सीजन पर आपराधिक गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी

रायगढ़। त्यौहार के महेनजर अपराधिक गतिविधियों पर लगाए व उनकी धरपकड़ के लिए जिला पुलिस काशन दीपक झा के दिशा निर्देशन में शहर को तीसरी आंख (सीसीटीवी)

के द्वाये में लाने के लिए विशेष पहल की है। जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक व कोतवाली टीआई दल बल के साथ शहर का भ्रमण करते हुए त्यौहार पर होने वाली दिक्कों का मौका मुआयना किये। तत्पश्चात व्यापारियों से मेल-मिलाप कर दुकानों की सुरक्षा का जायजा लिया।

जिसमें सुखागत कारणों से छोटे बड़े दुकान दारों को सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही वही कुछ दुकानदारों ने कैमरे लगाने की सहमति स्वयं टीआई को दी। इस तहत इस बार पुलिस शहर में होने वाली आपराधिक घटनाओं को रोकें व चुनाव में किसी प्रकार की कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने की कवायद में जुटी है।

सीएसपी व कोतवाली पुलिस के भ्रमण व व्यापारियों से चर्चा पर अलंकार होटल पहुंची जहां संचालक जसबीर टुटेजा ने कैमरे चालू होने की जानकारी देकर दो कैमरे और जल्द चालू कर सड़क की तरफ लगाने का आश्वासन टीआई को दिया।

सीएसपी व कोतवाली पुलिस के भ्रमण व व्यापारियों से चर्चा पर अलंकार होटल पहुंची जहां संचालक जसबीर टुटेजा ने कैमरे चालू होने की जानकारी देकर दो कैमरे और जल्द चालू कर सड़क की तरफ लगाने का आश्वासन टीआई को दिया। वहीं चौकी जुटिम एकार्यत प्रधान आरोपियों के विरुद्ध थाना खरसिया में अप.क्र. 750/18 धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली (चौकी जुटिम) में अप.क्र. 1455/18 धारा 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

सुचना पर कयाघाट चौक के पास स्टीट लाईट के नीचे तास पत्ती से जुआ खेलते हुए साहेब लाल जाटवर पिता राम सेवक जाटवर, सरधु बंजारे, नवीन खाण्डे पिता सुखीराम बंजारे, नवीन खाण्डे पिता दशरथ खण्डे, मन्तु निषाद पिता लक्ष्मीनारायण निषाद, सौदामगर डे पिता गोपाल डे, सुधाम मिश्रा पिता जनादेव मिश्रा को पकड़े, जिनके पास एवं फड़ से रकम 3810 रुपये, 52 पत्ती तास जस किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली (चौकी जुटिम) में अप.क्र. 750/18 धारा 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

सुचना पर कयाघाट चौक के पास स्टीट लाईट के नीचे तास पत्ती से जुआ खेलते हुए साहेब लाल जाटवर पिता राम सेवक जाटवर, सरधु बंजारे, नवीन खाण्डे पिता सुखीराम बंजारे, नवीन खाण्डे पिता दशरथ खण्डे, मन्तु निषाद पिता लक्ष्मीनारायण निषाद, सौदामगर डे पिता गोपाल डे, सुधाम मिश्रा पिता जनादेव मिश्रा को पकड़े, जिनके पास एवं फड़ से रकम 3810 रुपये, 52 पत्ती तास जस किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली (चौकी जुटिम) में अप.क्र. 1455/18 धारा 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

वहीं चौकी जुटिम में कार्यरत प्रधान

प्रधान आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली (चौकी जुटिम) में अप.क्र. 1455/18 धारा 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

वहीं चौकी जुटिम में कार्यरत प्रधान

प्रधान आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली (चौकी जुटिम) में अप.क्र. 1455/18 धारा 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

वहीं चौकी जुटिम में कार्यरत प्रधान

प्रधान आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली (चौकी जुटिम) में अप.क्र. 1455/18 धारा 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

वहीं चौकी जुटिम में कार्यरत प्रधान

प्रधान आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली (चौकी जुटिम) में अप.क्र. 1455/18 धारा 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

वहीं चौकी जुटिम में कार्यरत प्रधान

प्रधान आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली (चौकी जुटिम) में अप.क्र. 1455/18 धारा 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

वहीं चौकी जुटिम में कार्यरत प्रधान

प्रधान आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली (चौकी जुटिम) में अप.क्र. 1455/18 धारा 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।